

फोन

कार्यालय -
आवास -

प्रेषक

कुलसचिव,
रिहाई विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिंहगढ़नगर -

प्रबन्धक,

पत्रांक - 1113 / सि० वि० ति० / संग्रहता

सूर्य बक्ष पाल स्मारक,

महाविद्यालय, बनकटी, बस्ती।

विषय : रचयितापोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य तथा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष एवं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा), ललित कला एवं निष्पादन कला एवं स्थानीय एवं शारीरिक शिक्षा विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक-29.05.2021 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्राचार्य तथा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष एवं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा), ललित कला एवं निष्पादन कला एवं स्थानीय एवं शारीरिक शिक्षा विषयों विषयों में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं०	पद	प्राचार्य/प्रवेषका का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	आधार कार्ड
1	प्राचार्य	डॉ० रत्नेश सिंह	वीरेन्द्र सिंह	01.09.1979	626135020812
2	विभागाध्यक्ष	डॉ० महेन्द्र सिंह	झल्लू सिंह	24.03.1997	813478816198
3	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	श्री श्याम मूर्ति	स्व० नक्छेद	08.07.1976	852636439089
4	ललित कला	श्री आनन्द कुमार	संजय कुमार	08.02.1994	625244939169
5	शारीरिक शिक्षा	श्री विनोद कुमार	स्व० श्याम नरायण	07.01.1981	625244939169
6	(सहायक प्रोफेसर) शिक्षण विषय	श्री धर्मेन्द्र कुमार राजभर	चन्द्रभान राजभर	05.07.1983	834904152061
7	सहायक प्रोफेसर) शिक्षण विषय	श्री उमेश प्रयाद यादव	द्वारिका प्रसाद यादव	07.08.1978	300137100488
8	सहायक प्रोफेसर) शिक्षण विषय	श्री प्रमोद कुमार	ललित प्रसाद	02.02.1987	499261477474
9	सहायक प्रोफेसर) शिक्षण विषय	श्री कमलेश कुमार	राम स्वारथ	01.01.1984	201982814164

नोट-उपरोक्त अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साझेयों/शापथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में असत्य/भ्रामक पार्दी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विचार नियमानुसार वैधानिक रूपरूपात्मक सुनिश्चित की जायेगी।

शर्त-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शारानादेश संख्या: 2443 / सत्तर-2-2000-2(85) / 97 दिनांक: 09 मई, 2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फौटो रहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रभाण-पत्र की प्रमाणित छाया त्रिति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का काट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि ८ द्यूप. उल्लेख किया जाए।
2. शासनादेश संख्या: 759 / सत्तर-2-2000-2(85) / 97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा वितक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समरत अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकालण्टपेठी त्रैक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्फ्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
 1. प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।


कुलसचिव

प्रबन्धक/सचिव

श्रीमती मूलदामा देवी शिक्षा समिति
पाल भवन रामेश्वरपुरा, बस्ती